



कार्यालय चिप्स

स्टेट डाटा सेंटर भवन, सिविल लाईन्स रायपुर, छत्तीसगढ़

फोन नं. 0771-4014158 फैक्स नं. 0771-4066205

क्रमांक 2249/समुकाअ/चिप्स/2021

रायपुर, दिनांक 28/12/2021

प्रति,

उपनिदेशक,

एलिफेंट रिजर्व अंबिकापुर

(छत्तीसगढ़).

विषय : विषयांतर्गत सुरजपुर जिले के एलिफेंट रिजर्व अंबिकापुर अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chhattishgarh Infotech Promotion Society "Forest land required for Optical Fibre Cable Laying works under BharatNet project which is a GOI initiative- Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optical fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State", area 1.462 ha. regarding

संदर्भ : 1 आपका पत्र क्र./मा.चि./2021/1512 दिनांक 15/12/2021।

2. वन संरक्षक (वन्य प्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक (एलिफेंट रिजर्व), सरगुजा वन वृत्त का पत्र क्र./मा.चि./1952 दिनांक 01/12/2021 दिनांक 21/10/2021।

3. अ.प्र.मु.व.सं. नया रायपुर का पत्र क्रमांक/भू प्रबंध/विविध/115-852/2628, दिनांक 21/10/2021।

-00-

विषयांतर्गत वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार प्रस्ताव में नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत कमियां पायी गई है जिसका निराकरण/स्पष्टीकरण निम्नानुसार है :-

- 1 C-3 Upload kml के attribute में विवरण (जैसे RF/PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) जानकारी के साथ अपलोड है एवं गैर वन भूमि का भी पालीगॉन दिखाया गया है परन्तु बीच-बीच में कई स्थानों में पालीगॉन छुटे हुए दर्शित हो रहें जिसे काले घेरे से दशर्या गया है। के. एम. एल फाईल में पालीगॉन क्यों छुटे हैं कारण बतावे एवं सुधार करावें। इससे स्पष्ट होता है कि वनमंडल स्तर पर जाँच नहीं किया गया।

परिवेश पोर्टल में उक्त प्रस्ताव के ऑनलाइन फार्म ए पार्ट-1 C-3 Upload kml में सही के.एम.एल. फाईल अपलोड किया गया है जिसमें किसी भी स्थान पर पालीगॉन छुटा नहीं था। उक्त के.एम.एल. फाईल प्रस्ताव के साथ भी सी.डी. में संलग्न किया गया है। इस परिपेक्ष में नोडल कार्यालय में सम्बंधित तकनीकी अधिकारी से चर्चा कर उनके संज्ञान में ये तथ्य लाया गया था तदोपरांत प्रस्ताव में संलग्न सी.डी. के के.एम.एल. फाईल की जाँच उनके द्वारा की गई जिसमें फाइल में किसी भी स्थान पर पालीगॉन छुटा हुआ नहीं पाया गया। परिवेश पोर्टल में तकनीकी खामियों के कारण शायद रूट का कुछ हिस्सा विलोपित हो गया होगा तथापि उक्त फाइल को पुनः अपलोड किया गया है।

2 आनलाईन फार्म ए पार्ट-1 के बिन्दु कमांक K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act- 2006 on the forest land proposed to be diverted.

(1). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 in the forest land proposed to be diverted has been completed: No

वनमंडलाधिकारी कार्यालय ध्यान रखें कि वन अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उक्त कॉलम पर उपरोक्त प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना होता है। प्रमाण पत्र निर्धारित कॉलम में अपलोड कराये।

आनलाईन फार्म ए पार्ट-1 के बिन्दु कमांक K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act- 2006 on the forest land proposed to be diverted संशोधित कर लिया गया है।

(1). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 in the forest land proposed to be diverted has been completed: YES

वन अधिकार प्रमाण पत्र निर्धारित कॉलम में अपलोड किया गया है।

3 Form A Pant-II के कॉलम न. 15 में अपलोड प्रपत्र-3 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है। सही जानकारी के साथ अपलोड करावें।

उक्त संशोधन कार्यालय, उप निदेशक, एलिफेंट रिजर्व सरगुजा द्वारा किया जावेगा।

4 Form A Pant-II के कॉलम न. 15 में अपलोड भाग-2 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है। सही जानकारी के साथ अपलोड करावें।

उक्त संशोधन कार्यालय, उप निदेशक, एलिफेंट रिजर्व सरगुजा द्वारा किया जावेगा।

5 एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकाशित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस के.एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से

सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।

उक्त संशोधन कार्यालय, उप निदेशक, एलिफेंट रिजर्व सरगुजा द्वारा किया जावेगा।

- 6 आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जावे इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।

उक्त संशोधन कार्यालय, उप निदेशक, एलिफेंट रिजर्व सरगुजा द्वारा किया जावेगा।

- 7 संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल. फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
उक्त संशोधन कार्यालय, वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़).द्वारा किया जावेगा।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी
(चिप्स) रायपुर छत्तीसगढ़

क्रमांक 2259/मुकाअ/चिप्स/2021

रायपुर, दिनांक 28/12/2021

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

- 1 वन संरक्षक (वन्य प्राणी) सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर छत्तीसगढ़।
- 2 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छत्तीसगढ़।


संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन
सोसाइटी (चिप्स)
रायपुर छत्तीसगढ़

कार्यालय उप निदेशक एलीफेंट रिजर्व सरगुजा अम्बिकापुर(छ.ग.)

Phone (07774): - 240987

Email id : dders2014@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./2021/2506
प्रति,

अम्बिकापुर, दिनांक/15/12/2021

JCEO,
Chhattisgarh Infotech Promotion Society
Chips, 2nd floor, SDC building,
Civil line, Raipur, Chhattisgarh

विषय :- विषयांतर्गत सूरजपुर जिले के एलिफेंट रिजर्व सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chhattisgarh Infotech Promotion Society द्वारा "Forrest Land required for Optical fiber cable Laying works under " Bharat Net Project witchj is a GOI initiative. Under this project, Connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the state.", area-1.462 ha.-regarding

संदर्भ :- वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक (एलीफेंट रिजर्व), सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर का पत्र क्र./मा.चि./1952, अम्बिकापुर, दिनांक - 01/12/2021

—00—

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र के द्वारा नोडल अधिकारी कार्यालय द्वारा ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाने हेतु भारत नेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिंदुवार कमियां पायी गई है।

अतः निर्देशित है कि आपसे संबंधित कमियों की पूर्ति कर प्रतिवेदन अविलंब प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यावाही किया जा सके।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

उप निदेशक

एलीफेंट रिजर्व सरगुजा
अम्बिकापुर (छ0ग0)

पू.क्रमांक/2507/मा.चि/2021/
प्रतिलिपि :-

अम्बिकापुर, दिनांक.15/12/2021

1. अधीक्षक तमोर पिंगला अभ्यारण्य रमकोला को सूचनार्थ।

उप निदेशक

एलीफेंट रिजर्व सरगुजा
अम्बिकापुर (छ0ग0)

कार्यालय
वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय संचालक (एलीफेंट रिजर्व),
सरगुजा वन वृत्त, अम्बिकापुर

Tel & Fax no- 07774-241055

Email address- cfwlsarguja@gmail.com

क्रमांक/मा.चि./ 1952

अम्बिकापुर, दिनांक- 01/12/2021

प्रति,

उप निदेशक
एलीफेंट रिजर्व सरगुजा
अम्बिकापुर (छ.ग.)

विषय:- विषयांतर्गत सूरजपुर जिले के एलीफेंट रिजर्व सरगुजा वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chhattisgarh Infotech Promotion Society द्वारा "Forest Land required for Optical fibre cable Laying works under "Bharat Net Project which is a GOI initiative. Under this project, Connectivity Will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the state.", area- 1.462 ha.-regarding

संदर्भ:- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) छत्तीसगढ़ अटल नगर नवा रायपुर का पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-852/2628 रायपुर दिनांक 21.10.2021 (जो आपको संबोधित है)

—000—

विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव को नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय से परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पायी गई है जिसका निराकरण शीघ्र सुनिश्चित करें। कमियों के निराकरण हेतु मूलतः प्रस्ताव वापस किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर पूनरीक्षित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव मय डी. जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)

एवं क्षेत्रीय संचालक (एलीफेंट रिजर्व) सरगुजा
अम्बिकापुर

पृ. क्रमांक/मा.चि./ 1953

अम्बिकापुर, दिनांक- 01/12/2021

प्रतिलिपि :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध/व.स.अ.) की ओर संदर्भित पत्र पृष्ठांकन क्रमांक/2629 दिनांक 21.10.2021 के तारतम्य में सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित।

वनसंरक्षक (वन्यप्राणी)

एवं क्षेत्रीय संचालक (एलीफेंट रिजर्व) सरगुजा
अम्बिकापुर



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र0/भू-प्रबंध/ विविध/115-852/२६२६

रायपुर, दिनांक 21/10/2021

प्रति,

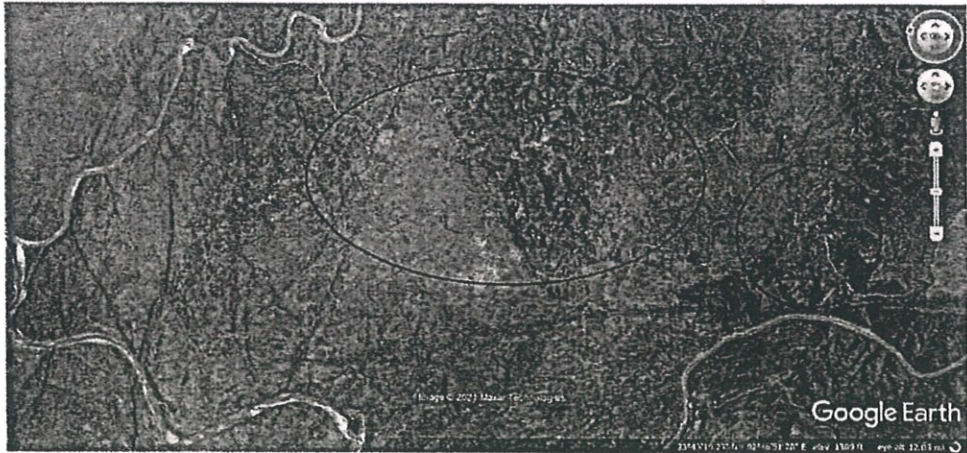
उप निदेशक
एलिफेंट रिजर्व सरगुजा
छत्तीसगढ़

- विषय :-** विषयांतर्गत सुरजपुर जिले के एलिफेंट रिजर्व सरगुजा वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु Chhattishgarh Infotech Promotion Society द्वारा "Forest land required for Optical Fibre Cable Laying works under "BharatNet project which is a GOI initiative. Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPs & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466 KM. The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State.", area - 1.462 ha. - regarding
- संदर्भ :-** वन संरक्षक (वन्य प्राणी), प्रोजेक्ट एलिफेंट सरगुजा अम्बिकापुर का पत्र पृ. क्रमांक/1390/मा.वि. दिनांक 21.10.2020
- प्र.मु.व.सं. (वन्यप्राणी एवं जैव विविधता संरक्षण) सह वन्य प्राणी अभिरक्षक का पत्र क्रमांक/व. प्रा./स्टेनो/प्रबंध-511/3677 दिनांक 05.10.2021

-0-

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के दिशा निर्देशों तथा नवीन चेक लिस्ट अनुसार वन संरक्षक, (वन्य प्राणी), प्रोजेक्ट एलिफेंट सरगुजा अम्बिकापुर से वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। नोडल अधिकारी FC Act कार्यालय के परीक्षण उपरांत प्रस्ताव में निम्नानुसार कमियां पायी गई है जिसका निराकरण शीघ्र सुनिश्चित करें। कमियों के निराकरण हेतु मूलतः प्रस्ताव वापस किया जा रहा है:

1. C-3 Upload .kml के attribute में विवरण (जैसे RF / PF along with Compartment no. and area in ha./ Revenue Forest Land along with Khasra no. and area in ha. आदि) जानकारी के साथ अपलोड है एवं गैर वन भूमि का भी पालीगॉन दिखाया गया है परन्तु बीच-बीच में कई स्थानों में पालीगॉन छुटे हुए दर्शित हो रहें जिसे काले घेरे से दशर्या गया है। के.एम.एल फाईल में पालीगॉन क्यो छुटे हैं कारण बतावे एवं सुधार करावें। इससे स्पष्ट होता है कि वनमंडल स्तर पर जाँच नहीं किया गया है।



2. आनलाईन फार्म ए पार्ट-I के बिन्दु क्रमांक K Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : No

वनमंडलाधिकारी कार्यालय ध्यान रखें कि वन अधिकार पत्र प्राप्त होने पर उक्त कॉलम पर उपरोक्त प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना होता है। प्रमाण पत्र निर्धारित कॉलम में अपलोड करावें।

3. Form A Part-II के कालम न. 15 में अपलोड प्रपत्र - 3 में हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम अंकित नहीं है। सही जानकारी के साथ अपलोड करावें।
4. Form A Part-II के कालम न. 16 में अपलोड भाग-2 हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी का नाम एवं दिनांक अंकित नहीं है। सही जानकारी के साथ अपलोड करावें।
5. एफ.एम.आई.एस द्वारा प्रकरण में प्रदायित वनस्पति मानचित्र का डी.जी.पी.एस के.एम.एल फाईल/शेप फाईल से मिलान का सत्यापन, संबंधित वनमंडल के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी से कराया जाकर मानचित्र पर अथवा पृथक से सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे तथा जो वनमंडलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हो।
6. आवेदित वन भूमि विवरण का सत्यापन डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का वनमंडल कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर संबंधित मानचित्रकार / तकनीकी अधिकारी से कराया जावे इस बाबत भी सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
7. संबंधित वनमंडल द्वारा सत्यापित वनस्पति मानचित्र एवं आवेदित वन भूमि के डी.जी.पी.एस सर्वे डाटा (के.एम.एल फाईल/शेप फाईल) का सत्यापन प्रमाण पत्र में वृत्त कार्यालय के मानचित्रकार/तकनीकी अधिकारी के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति कर पुनरीक्षित प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु प्रस्ताव मय डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट मूलतः संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव 2 प्रतियों में (मूलतः)

- आवेदित स्थल एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण स्थल का DGPS रिपोर्ट 01 प्रतियों में

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़

क्र0/भू-प्रबंध/ विविध/115-852/2029

रायपुर, दिनांक 21/10/2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- वन संरक्षक, (वन्य प्राणी), प्रोजेक्ट एलिफेंट सरगुजा अम्बिकापुर छत्तीसगढ़।
- JCEO, Chhattishgarh Infotech Promotion Society CHiPS, 2nd Floor, SDC Building, Civil Line Raipur Chhattisgarh
- वन मंडलाधिकारी (वन प्रबंधन सूचना प्रणाली कार्यालय) अरण्य भवन, अटल नगर, नवा रायपुर छ.ग.। DGPS रिपोर्ट मय के.एम.एल एवं शेप फाईल संलग्न कर प्रेषित है। के.एम.एल एवं शेप फाईल का परीक्षण आवेदित क्षेत्र अनुसार है अथवा नहीं अपना अभिमत इस कार्यालय को तीन दिवस के अंदर प्रेषित करें।

अ.प्र.मु.व.स (भू-प्रबंध / व.स.अ)
छत्तीसगढ़